



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 802) पटना शुक्रवार 17 जुलाई 2026

सं० 03/एम0एम0(बा0)—08/2025—3592—एम0
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

4 जून 2026

विषय:— राज्यान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किये जाने के संबंध में।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-29 क(1) के अनुसार लघु खनिज के रूप में बालू की बंदोबस्ती समाहर्ता द्वारा/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा सबसे अधिक ई-बोली लगाने वाले (उच्चतम डाकवक्ता) के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में बालूघाटों की ई-नीलामी बेल्ट्रॉन के माध्यम से E-Proc द्वारा करायी जाती है।

2. बालूघाटों की बंदोबस्ती के पश्चात् संचालन हेतु बालूघाटों का खनन योजना तैयार कराना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति तथा CTO/CTE जैसे वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में इन सभी आपत्तियों को प्राप्त करने में लगभग 300 दिनों का समय लगता है, जिससे राज्य सरकार को अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्ति में विलम्ब होता है।

3. बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के निदेशक पर्वद के द्वारा जिन बालूघाटों की नीलामी के पूर्व खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना है, का निर्णय लिया जाएगा एवं उक्त बालूघाट के नीलामी के पश्चात् सफल उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति का स्थानान्तरित किया जायेगा एवं इस पर हुए व्यय की वसूली बंदोबस्तधारी से की जाएगी।

4. अतः बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के नियम-17(4)(v) एवं 18(2)(i) के परन्तुक में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राज्यान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-27.05.2026 की बैठक के मद संख्या-14 में दी गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 802-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>